

LOK ADALAT

in High Court Premises held on 6th of August, 2011

A Lok Adalat was organized on 06th August, 2011 in the premises of the Jharkhand High Court. in the presence of Hon'ble Mr. Justice R.K.Merathia, Judge, Jharkhand High Court and Executive Chairman, JHALSA, Hon'ble Mrs. Justice Poonam Srivastav, Judge, Jharkhand High Court and Chairman, High Court Legal Services Committee and other Hon'ble Judges of the Jharkhand High Court.

For the smooth functioning of the Lok Adalat 4 benches were constituted in which 221

cases relating to Contempt cases of MADA (63), Dhanbad, Miscellaneous Appeals (138) arising out of Motor Vehicle Accident Claim cases and Pre-litigation cases (20) were listed for settlement.

Cheques of Rs. 3,23,54,954/- (Rs. Three crore twenty three lakh fifty four thousand nine hundred and fifty four only) were deposited by the MADA, Dhanbad in 63 cases. Out of which Rs. 2,45,78,852/- (Rs. Two crore forty five thousand seventy eight thousand eight hundred fifty two only) were disbursed in 41 cases. Rest Rs. 77,76,102/- (Rs. Seventy seven lakh seventy six thousand one hundred and two only) could not be disbursed in 22 cases as the parties did not turn up before the Benches of the Lok Adalat.

The vibrant feature of the Lok Adalat was settlement of cases at pre-litigation stage, details thereof are as follows:-

Payment of Rs. 76,000/- to M/s Omec Engineers by CCL.

Payment of Rs. 25,000/- to Usha Rani by the Unit Trust of India.

Payment of Rs. 3,00,000/- to Manprit Kaur and Prakash Kaur in 70:30 ratio by Singh Construction Corporation, Durgapur towards claim of late Hardeep Singh.

Final Settlement of dispute between husband Mrinal Banerjee and wife Saroj Banerjee.



Hon'ble Mr. Justice R. K. Merathia, Judge, Jharkhand High Court & Executive Chairman, JHALSA inaugurating the programme by lighting the lamp

प्रभात खबर
www.prabhatkhabar.com

सोनी, राबिबार, 7 अगस्त, 2011

न्याय > झालसा ने आयोजित की 18वीं लोक अदालत, जस्टिस पूनम श्रीवास्तव ने कहा

लोक अदालतों का लाभ उठायें

वरीय संवाददाता * सोनी

जस्टिस पूनम श्रीवास्तव ने कहा है कि केस के निचले में लोगों को लोक अदालत का सहारा लेना चाहिए, इससे समय बचने में सहायता होती है। लोक अदालत का बहुत फायदा कमरे में नहीं केस भी बन जा और कानून भी बन जा, समय के साथ इसमें सुविधा हुई, कई नए बायूट बन गये, न्यायपरिष्कार पर जोर देने लगा, सब लोक अदालत का फायदा होगा।

जस्टिस श्रीवास्तव राबिबार को झारखंड हाइकोर्ट, राबिबार ने झालसा द्वारा आयोजित 18वीं लोक अदालत को संबोधित कर रही थी, न्यायमूर्ति आरके मेरथिया ने कहा कि मुलत करने के लिए किसी का कोई बचाव नहीं है, लोगों को चाहिए कि समय, पैसा, मानसिक शक्ति के लिए मुकदमे चलाने का नहीं, बरकरार के अन्तर्गत सीसी विगटो ने भी



लोक अदालत में निर्वाय के बाद 41 मामलों के संबंधित बहरी को सुपट दिखे गये।

2.45 करोड़ रुपये का हुआ भुगतान

लोक अदालत में मात्र धनबाद से संबंधित 83 मामलों में मुकदमा के लिए 3,23,54,954 रुपये का कुल राशि प्राप्त हुआ, इसमें से 41 मामलों में 2,45,78,852 रुपये का कुल राशि निर्वाय किया गया, परकारों के उपस्थिति नहीं करने के कारण 22,76,102 रुपये का कुल राशि बायूट का गया।

जस्टिस मेरथिया ने प्रभात खबर के प्रयासों की सराहना की



जस्टिस मेरथिया ने खबर पढ़ कर सुनाया।

झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश व झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस आरके मेरथिया ने प्रभात खबर में छपी झालसा के मुख्य सचिव से संबंधित खबर को पढ़ कर सुनाया और अध्यक्ष ने प्रयासों की सराहना की, जस्टिस मेरथिया राबिबार को झारखंड हाइकोर्ट परिसर में आयोजित लोक अदालत को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने प्रभात खबर में छपी झालसा को प्रकाशित आज सेवानिवृत्ति के दिन ही मिले आयोगी पूरी रात खबर को पढ़ कर सुनते हुए कहा कि झालसा राबिबार यह मानती है कि जब मामलों राबिबार के सतर पर हो निष्पादित किया जा सकते है, पैसा मामलों के लिए भी लोगों को हाइकोर्ट जाना पड़ रहा है, न्याय नहीं मिलने पर हाइकोर्ट कम रुक अग्रगता है, सतर बायूट भी लगा देता है, सतरा के लिए वह बिना क विचार है, हमसे बचने के लिए सतरा को चाहिए कि वह अपने सतर पर नये मामलों को निष्पादित करे, ताकि न्यायालयों का बोझ कम हो सके, झारखंड में भी न्यायालयों पर बोझ कम किया जा सकता है,

83 मामलों का निबटारा

(बादा) से संबंधित 63, वैराटिक 17, सुनीबद थे


गता है, उक्त आंकड़ा वर्ष 2005 से



**Hon'ble Mr. Justice Ramesh Kumar Merathia,
Judge Jharkhand High Court & Executive Chairman,
JHALSA addressing the participants**



**Hon'ble Mrs. Justice Poonam Srivastav,
Judge Jharkhand High Court & Chairman, HCLSC
addressing the participants**



**Distribution of Cheques by
Hon'ble Dignitaries**



Participants at the Lok Adalat



Hon'ble Judges & Other Participants at the Lok Adalat